डाक-व्यय की पूर्व अदायगी
के बिना डाक द्वारा भेजे जाने
के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र
क्र. भोपाल-एम.पी. 2
डब्ल्यू. पी./505/99.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
एम.पी. 2/पी-122/99.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 372]   भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 मई 1999—वैशाख 24, शक 1921

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 मई 1999

क्र. 1427-ई-चार-99.—यत: मध्यप्रदेश राज्य की अपनी स्वयं की आयोजित, संचालित या संप्रवर्तित लाटरियां नहीं है.

और यत: मध्यप्रदेश राज्य लाटरी मुक्त क्षेत्र है जहां किसी लाटरी को आयोजित करने की अनुज्ञा नहीं दी गई है.

अतएव, लाटरी (रेग्युलेशन) एक्ट, 1998 (क्रमांक 17 सन् 1998) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा (एस. एल. पी. क्र. 10356/97 और सिविल अपील क्र. 2755 सन् 1999 आदि, मेसर्स बी. आर. इन्टरप्राइजेस विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य आदि से उद्‌भूत) सिविल अपील क्र. 2767 सन् 1999 में पारित निर्णय तथा आदेश दिनांक 7 मई 1999 के अनुपालन में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी राज्य द्वारा आयोजित, संचालित या संप्रवर्तित लाटरियों के समस्त टिकटों का विक्रय तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध करती है.

मध्यप्रदेश राज्य के भीतर किसी लाटरी का विक्रय करते हुए, संचालित करते हुए, आयोजित करते हुए या संप्रवर्तित करते हुए पाया जाने वाला कोई व्यक्ति, लाटरी (रेग्युलेशन) एक्ट, 1998 के उपबंधों और तत्समय प्रवृत्त विधि के अन्य उपबंधों के अधीन दण्डनीय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. पी. सिंघल, सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 मई 1999

क्र. 1427-चार-99.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1427-ई-चार-99, दिनांक 14 मई 1999 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. पी. सिंघल, सचिव.

Bhopal, the 14th May 1999

No. 1427-E-IV-99.—WHEREAS, the State of Madhya Pradesh does not have its own organised, conducted or promoted lotteries.

AND WHEREAS the State of Madhya Pradesh is a Lottery Free Zone, where no lottery has been permitted to be organised.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Lotteries (Regulation) Act, 1998 (No. 17 of 1998) and in compliance of the judgment and order dated 7th May 1999 passed by the Hon'ble Supreme Court of India in Civil Appeal No. 2767 of 1999 (arising out of SLP No. 10356/97 and Civil Appeal No. 2755 of 1999 etc. M/s B. R. Enterprises *Vs.* State of Uttar Pradesh and others etc). the State Government hereby prohibit the sale of all the tickets of lotteries organised, conducted or promoted by any State within the territory of the State of Madhya Pradesh with immediate effect.

Any person found selling conducting, organizing or promoting a lottery within the State of Madhya Pradesh sha" be punishable under the provisions of the Lotteries (Regulation) Act, 1998 and other provisions of the law, for the time being inforce.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
G. P. SINGHAL, Secy.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—1999.